राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ) बाड़मेर

EMAIL ID:-aceo_bar @yahoo.com

क्रमांक / जिपबा / प.शा. / ग्राम सभा / 2024 / दिनांकः–

प्रेषितः–

विकास अधिकारी
पंचायत समिति............समस्त
जिला बाड़मेर / बालोतरा

विषयः– दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत्।

संदर्भः– श्रीमान उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग जयपुर के **RajKaj Ref** 12258264 दिनांक 06.10.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 28.11.2024 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयों / निर्देशों के क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाकर , उक्त वर्णित बिन्दुओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(सिद्वार्थ पलनीचामी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् बाड़मेर

क्रमांक / जिपबा / प.शा. / ग्राम सभा / 2024 / दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है–

01. श्रीमान उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग जयपुर।
02. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला बालोतरा को भेजकर लेख है कि संबंधित विकास अधिकारियों को पांबद करते हुए कार्यवाही करावें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by SIDDHARTH PALANICHAMY S
Designation : Chief Executive Officer
Date :18-12-2024 10:41:51

RajKaj Ref No.: 12304556

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0सभा/24/ईफाईल 22379   जयपुर, दिनांकः–

1. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
2. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।

विषयः–दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि **माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 28.11.2024 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयों/निर्देशों के कम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है ।** जिसमें निम्नांकित कार्यवाही सम्पादित की जानी है :–

1. वर्ष 2024 के लिए असत्यापित पेंशनर्स से व्यक्तिशः सम्पर्क कर उनके वार्षिक भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित करवाया जाना है। साथ ही यदि कोई पेंशनर वर्तमान में मृत्यु, पलायन अथवा अन्य कारणों से अपात्र हो गया है तो उनकी पेंशन निरस्त करने के लिए संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

2. दिनांक 1 अप्रेल, 2022 से 30 नवम्बर, 2024 की अवधि में विभिन्न कारणों से निरस्त की गई पेंशन स्वीकृतियों के संबंध में ऐसे सभी प्रकरणों की सूची को चस्पा कर अपात्र पेंशनर्स के पी.पी.ओ. निरस्त करने तथा पात्र पेंशनर की गलत सूचनाओं के आधार पर पेंशन निरस्त की गई हो तो अनुमोदन कर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के स्तर से पेंशन पुनः प्रारम्भ करवाया जावे । इस सम्बन्ध में पेंशनर को उनके प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत करवा कर मार्गदर्शन प्रदान करवाया जावे ।

अतः आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाकर, उक्त वर्णित बिन्दुओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
4. जिला कलक्टर, समस्त ।
5. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

Signature valid
Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2024.12.06 10:32:30 IST
Reason: Approved